**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण**

**(जिला. पाली) राज0**

**पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सीरवी, आर0ए0एस0 (प्रशिक्षु)**

**राजस्व वाद संख्या : 554/2016**

| –: वादीगण :– | बनाम | –: प्रतिवादी :– |
|---|---|---|
| 1. रतना पुत्र हजारी | | 1. तहसीलदार, जैतारण |
| 2. शंकर पुत्र हजारी | | तहसील–जैतारण,जिला पाली |
| 3. प्रभु पुत्र पन्ना | | |
| जाति–माली, निवासी–टूंकड़ा | | |
| तहसील–जैतारण, जिला–पाली | | |

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act.** **तारीख रजू:.21/11/2016**

उपस्थितः– 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः– 07/05/2018**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–निम्बहेड़ा खुर्द व विजयगढ पटवार हल्का टूंकड़ा में वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि जमीन निम्न खसरा नम्बरान की आई हुई है– खसरा नम्बर 216 रकबा 09 बीघा किस्म चाही, खसरा नम्बर 217 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा किस्म चाही, खसरा नम्बर 218 रकबा 12 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 219 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा किस्म चाही, खसरा नम्बर 220 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा किस्म चाही, खसरा नम्बर 225 रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही, कुल खसरा संख्या 6 एवं कुल रकबा 54 बीघा 15 बिस्वा की आई हुई हैं। उपरोक्त भूमि वादीगण की पैतृक एवं कब्जे काश्त की होने से राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी संवत् 2017–2020 में वादी संख्या एक व दो के पिता हजारी व वादी संख्या तीन प्रभु व इनके भाई दयाल का नाम म्यूटेशन संख्या 63, 64 के जरिए आया था जो सही था। लेकिन संवत् 2033–2036 की जमाबंदी खतौनी नई बनाते वक्त पटवारी हल्का टूंकड़ा द्वारा सेवन से वादी संख्या एक व दो के पिता हजारी व वादी संख्या तीन व इनके भाई दयाल का नाम दर्ज होने से रह गया जो सिलिप आप मैन से प्रभु, हजारी, दयाल का नाम लिखना रह गया। राजस्व रेकर्ड में जरिए विरासत के म्यूटेशन संख्या 63, 64, 65 के माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज सेवन से हर गया। इसलिए वादीगण घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रहे है। वादीगण की वंशावली अनुसार मूल पुरूष दोला के वारिसान भभूत पन्ना एवं नैना हुए तथा भभूत के वारिसान भंवरू उर्फ भेरा, चन्द्रा, पीरू हुए तथा पन्ना के वारिसान हजारी, प्रभु व दयाल हुए तथा हजारी के वारिसान रतना, शंकर हुए तथा नैना हुए। उपरोक्त वंशावली अनुसार दौला फौत होने पर म्यूटेशन संख्या 63 व पन्ना फौत होने पर म्यूटेशन संख्या 64 भभूत फौत

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
(फास्ट ट्रेक), जैतारण

Scanned by CamScanner

होने पर म्यूटेशन संख्या 65 भरा गया व इनके वारिसान का जमाबंदी संवत् 2021-2024 में दर्ज किया गया जो संवत् 2029 से 2032 तक सही चला। लेकिन सेवन से जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 में रह गया जो अब वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना जरूरी है एवं दयाल पुत्र पन्ना वल्द फौत हो गया इसलिए दयाल पुत्र पन्ना का नाम राजस्व रेकर्ड में दयाल फौत होने से प्रभु पुत्र पन्ना, रतना पुत्र हजारी, शंकर पुत्र हजारी दर्ज किया एवं दयाल पुत्र पन्ना का नाम हटाया गया जिसकी जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 की नकल दावा के साथ पेश है। वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने से किसान क्रेडिड कार्ड भी नहीं बना सकते है न ही अपने हिस्से की भूमि पर ऋण प्राप्त कर जमीन उपजाऊ बना सकते है। इसलिए म्यूटेशन संख्या 63,64,65 की नकलें दिनांक 28.10.16 को लेने पर सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि जरिए फौतेदगी म्यूटेशन के माफिक राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किया व बाद में कैसे हटा दिया गया। इसलिए अब श्रीमान् के समक्ष प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद पेश है। वादीगण ने प्रतिवादी को कई बार कहा व दिनांक 2.11.2016 को तहसीलदार से म्यूटेशन की नकल बताई व वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का कहा तो प्रतिवादी ने मना करने पर बमुकाम जैतारण में उत्पन्न हुआ जो वाद अन्दर म्याद पेश है। वादीगण का बिनाय दावा दिनांक 2.11.16 को प्रतिवादी को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने मना करने पर बमुकाम जैतारण में उत्पन्न हुआ जो अन्दर म्याद है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने जबाबदावा पेश किया कि राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 216, 217, 218, 219, 220 व 225 कुल रकबा 54-15 बीघा में वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण का नाम दर्ज नहीं हैं। पटवारी हल्का टूंकड़ा से रेकर्ड की जांच करवाने पर पाया गया कि जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2032 के खाता संख्या 82 में हजारी दयाल प्रभु पि0 पना, भेरा चन्द्रीया पीरू पि0 भबूत, नेना पुत्र दोला मांगू हापू पि0 भूरा, भंवरिया गुमना ओगडिया पि0 गोपू, भेरा सुगना जेठु पि0 जसा 1/3 दर्ज था। परन्तु नवीन चौशाला सम्वत् 2033 से 2036 बनाते समय बिना किसी आधार हजारी दयाल प्रभु पि0 पना दर्ज होने से रह गया, जो सहवन से हुई त्रुटि प्रतीत होती हैं तथा पटवारी हल्का - टूंकड़ा की जांच रिपोर्ट पेश की, जो सा0मि0 हैं। वकील वादीगण ने वादीगण को राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-टूंकड़ा में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई एवं मजमा-ए-आम में तहसीलदार जैतारण का जबाबदावा एवं पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः जमाबन्दी 2029 से 2032 तक में हजारी, दयाल, प्रभू पिता पना का नाम खातेदारान के साथ दर्ज था, परन्तु संवतः 2033 से 2036 की नवीन जमाबन्दी बनाते समय हजारी, दयाल, प्रभू का नाम दर्ज होने से छूट गया। वकील वादीगण ने बहस में जाहिर किया कि दयाल नौओलाद

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
(फास्ट ट्रेक), जैतारण

Scanned by CamScanner

फौत हो गया हैं, दयाल का नाम हटाया जावें। वादीगण ने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश कर आदीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की इस्तदूआं की है। लिहाजा वादीगण को भेरा, चन्द्रीया, पीरू पिता भबूत वगैरह के 1/3 वें हिस्से में खातेदार कश्तकार घोषित किया जाना एवं दयाल का नाम हटाया जाना उचित समझते हैं।

## –:: आदेश ::–

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–निम्बहेड़ा खुर्द व विजयगढ पटवार हल्का टूंकड़ा में वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि जमीन निम्न खसरा नम्बरान की आई हुई है– खसरा नम्बर 216 रकबा 09 बीघा किस्म चाही, खसरा नम्बर 217 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा किस्म चाही, खसरा नम्बर 218 रकबा 12 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 219 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा किस्म चाही, खसरा नम्बर 220 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा किस्म चाही, खसरा नम्बर 225 रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही, कुल खसरा संख्या 6 एवं कुल रकबा 54 बीघा 15 बिस्वा की भूमि में वादीगण को भेरा, चन्द्रीया, पीरू पिता भबूत वगैरह के 1/3 वें हिस्से में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं दयाल नाऔलाद फौत होने से नाम हटाया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फर्स्ट ट्रेक), जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 07/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–टूंकड़ा में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फर्स्ट ट्रेक), जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner